फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

राजाराम बनाम बीनादेवी

केस संख्या : 94/25

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। ब.फ.उप.। अप्रार्थी 1 ता 8 की ओर से जवाब प्रा०पत्र पेश हुआ। अप्रार्थी 9 ता 14 अनुपस्थित है। पत्रावली दिनांक 18/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	18/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। ब.फ.उप.। अप्रार्थी 9 ता 14 अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	25/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। ब.फ.उप.। उभयपक्ष आ.ता. पेशी पर आवश्यकरूप से बहस करें। पत्रावली दिनांक 29/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	29/9/25	पत्रावली आज दिनांक 29/9/25 [illegible] हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार [illegible] द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ~~29/9/25~~ 7/10/25 को पेश हो।	
	7/10/25	पत्रावली प्रस्तुत। ब.फ.उप.। बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेज, जवाब के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में [illegible] है अतः दिनांक 21/7/2020 को जारी [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] विस्तारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:00:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 94/2025 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 21.07.2025

राजाराम पुत्र भूरीलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर (राज.)।

...प्रार्थी

बनाम

1. बीना देवी पुत्री रामस्वरूप
2. ममता पुत्री रामस्वरूप
3. मीना देवी पुत्री रामस्वरूप
4. रतन देवी पुत्री रामस्वरूप
5. लता पुत्री रामस्वरूप
6. शांति देवी पत्नी रामस्वरूप
7. पूनम पुत्री रामस्वरूप
8. सत्येन्द्र पुत्र रामस्वरूप
   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर (राज.)।
9. औमप्रकाश पुत्र घासीराम
10. गिरधारीलाल पुत्र घासीलाल
11. पूरणमल पुत्र घासीलाल
    समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम हरदतपुरा जिल्ला जयपुर (राज.)।
12. सत्यनारायण उर्फ श्यामलाल पुत्र भूरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर (राज.)।
13. सीताराम पुत्र भूरीलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर (राज.)।
14. श्रीमान प्रबन्धक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा जिला जयपुर (राज.)।
15. श्रीमान प्रबन्धक महोदय, राजस्थान गरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जालसू जिला जयपुर (राज.
16. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय जालसू जिला जयपुर ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील जालसू जिला जयपुर।

..... अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman
Date: 2026.01.16 15:00:40 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 07.10.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उपरोक्त उनवानी वाद व प्रार्थना पत्र वादी प्रार्थी ने आज ही न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हैं, जिसमें वादी प्रार्थी को सफलता प्राप्त होने की पूरी–पूरी उम्मीद हैं। वादी–प्रार्थी

पुश्तैनी रूप से वाके ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर का रहने वाला हैं, वादी प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 एवं वाद पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 13 की पुश्तैनी शामलाती खातेदारी भूमि वाके ग्राम रायथल पटवार हल्का रायथल तहसील जयसिंहपुरा जिला जयपुर में स्थित हैं। जिस पर वादी प्रार्थी अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। वाके ग्राम रायथल पटवार हल्का रायथल भू.अभि.नि.क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 291 जिसके आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 105 रकबा 3.64 हैक्टर कुल किता 6 का कुल रकबा 5.69 हैक्टर भूमि स्थित हैं, उक्त भूमि ही इस प्रार्थना पत्र में विवादित हैं, जिसे प्रार्थना पत्र के अग्रिम मदो में भूमि विवादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है। यह कि उक्त भूमि विवादग्रस्त खाता संख्या 291 में वादी–प्रार्थी का हिस्सा 6982276 भाग की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज हैं एवं शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 एवं बाद पत्र के प्रतिवादोगण संख्या 9 ता 13 के नाम से दर्ज इन्द्राज चला आ रहा हैं, इसी अनुसार उक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं, उक्त भूमि विवादग्रस्त शामिलाती हैं जिसका विधिवत तकासमा नहीं हुआ हैं तथा अभी तक शामिलाती में ही वादी–प्रार्थी व प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण संख्या 1 ता है एवं वाद पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 13 काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, तथा लगान सरकारी अपने–अपने हिस्से अनुसार शामलाती में सरकार में जमा कराते आ रहे है। उक्त भूमि विवादग्रस्त खाता संख्या 291 में वादी–प्रार्थी का हिस्सा 69/2276 भाग की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज हैं एवं शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज इन्द्राज चला आ रहा है, इसी अनुसार उक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है, उक्त भूमि विवादग्रस्त शामिलाती है जिसका विधिवत तकासमा नहीं हुआ हैं तथा अभी तक शामिलाती में ही वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं, तथा लगान सरकारी अपने–अपने हिस्से अनुसार शामलाती में सरकार में जमा कराते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त पर वादी–प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 एवं वाद पत्र के प्रतिवादीगण संख्या [illegible] से काबिज है, तथा शामिलाती में ही काबिज काश्त होकर हर प्रकार से उपयो[illegible] उप[illegible] करते चले आ रहे हैं, उक्त भूमि विवादग्रस्त का वादी–प्रार्थी व प्रति[illegible] अप्रार्थी[illegible] संख्या 1 ता 8 एवं वाद पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 13 के मध्य [illegible] तकासमा नही हुआ है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 ता 14 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 18.09.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 1 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, आंशिक रूप से स्वीकार हैं उक्त मद में मात्र प्रार्थी द्वारा मिथ्या आधारों पर वाद पेश करने स्वीकार हैं, शेष कथन मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी को वाद में सफलता मिलने की उम्मीद करना मृग मारीचिका समान हैं। मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, में वर्णितानुसार राजस्व ग्राम रायथल, पटवार रायथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित होना राजस्व रिकार्ड का विषय होने से स्वीकार हैं। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार हैं। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी एवं भिन अपार्थीगण संख्या 1 ता 8 के पूर्वाधिकारी रामस्वरूप एवं अप्रार्थी संख्या 12 सत्यनारायण उर्फ श्याम लाल के मध्य भूमि के बाबत लिखित में बंटवारानामा (पारिवारिक समझौता पत्र) दिनाक 17–05–2008 को निष्पादित किया जाकर दिनांक 22–05–2008 को प्रमाणित करवाया हुआ हैं तथा पक्षकारान् बंटवारे अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थना पत्र का नम्बर 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं में वर्णितानुसार राजस्व रायथल, पटवार रायथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित होना राजस्व रिकार्ड का विषय होने से स्वीकार हैं। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार हैं। उक्त भूमि कतई भी विवादग्रस्त नहीं हैं। प्रार्थी ने भूमि को गलत रूप से विवादित होना अंकित किया हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, सर्वथा ही गलत एवं निथ्या होने से अस्वीकार हैं। भूमि विवादग्रस्त का प्रार्थी एवं मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के पूर्वाधिकारी रामस्वरूप एवं अप्रार्थी संख्या 12 सत्यनारायण उर्फ श्याम लाल के मध्य भूमि के बाबत लिखित में बंटवारानामा (पारिवारिक समझौता पत्र) दिनांक 17–05–2008 को निष्पादित किया जाकर दिनांक 22–05–2008 को प्रमाणित करवाया हुआ हैं तथा पक्षकारान् बंटवारे अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। भूमि का पूर्व से ही बंटवारा हो रखा हैं तथा भूमि कतई भी शामलाती नहीं हैं। प्रार्थी ने जानबूझ कर मिथ्या तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो से खारिज किये प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नहीं जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, सर्वथा ही गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। भूमि पर पक्षकारान् कतई भी शामलाती रूप से काबिज नहीं हैं, बल्कि भूमि का पूर्व में ही प्रार्थी एवं मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के पूर्वाधिकारी रामस्वरूप एवं अप्राथी संख्या 12 सत्यनारायण उर्फ श्याम लाल के मध्य भूमि के बाबत बंटवारानामा (पारिवारिक समझौता पत्र) दिनांक 17–05–2008 को निष्पादित किया जाकर दिनांक 22–05–2008 को प्रमाणित करवाया हुआ हैं तथा पक्षकारान् पूर्व में हुये बंटवारे अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं, जो कतई चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:00:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं गलत होने से अस्वीकार हैं। मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं की जा रही हैं, प्रार्थी ने समस्त तथ्य गलत अंकित किये हैं। मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 पूर्व में हुये बंटवारे अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, पूर्व में मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के पूर्वाधिकारी रामस्वरूप जी काबिज थे एवं उनकी मृत्यु उपरान्त मिन अप्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर किया गया हैं काल्पनिक एवं मनगढ़न्त होने से स्वीकार नहीं हैं। दिनांक 15–02–2025 अथवा अन्य किसी दिवस अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा उक्तानुसार कोई कृत्य नहीं किये गये हैं, ना ही उक्तानुसार कोई धमकी प्रार्थी को दी गई हैं। प्रार्थी ने उक्त मद में वर्णित समस्त तथ्य मात्र वाद कारण उदित करने की गरज से अंकित किये हैं, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध, सरोकार नहीं हैं। प्रार्थी को किसी भी दिवस कोई वाद कारण ही उदित नहीं हुआ हैं, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाद कारण के अभाव में कतई भी चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 8 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं काल्पनिक एवं मनगढ़न्त होने से स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थी उक्त मद में वर्णितानुसार कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। ना ही प्रार्थी उक्त मद में वर्णितानुसार तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउण्ड करवाने का अधिकारी हैं क्योंकि प्रार्थी एवं मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के पूर्वाधिकारी रामस्वरूप एवं अप्रार्थी संख्या 12 सत्यनारायण उर्फ श्याम लाल के मध्य भमि के बाबत बंटवारानामा दिनांक 17––05–2008 को निष्पादित किया जाकर दिनांक 22–05–2008 को प्रमाणित करवाया हुआ हैं तथा पक्षकारान् बंटवारे अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले रहे हैं तथा भूमि का पूर्व में ही विभाजन पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से किया हुआ हैं एवं ना ही मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को किसी भी प्रकार की निषैधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कतई भी चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 9 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं गलत होने से अस्वीकार हैं। जब प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को किसी भी प्रकार से पाबन्द तो पाबन्द नहीं करवाने का ही विधिक अधिकारी नहीं किये जाने पर अपूर्तनीय क्षति होने का प्रश्न कहां उदित होता हैं, बल्कि यदि मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को किसी भी प्रकार से पाबन्द कर दिया गया तो प्रार्थी की तुलना में मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 10 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में ना होकर मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के पक्ष में बखूबी साबित होता हैं। वादी का वाद पत्र दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन के बिन्दु के अभाव में कतई चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 11 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं सम्पूर्ण ही गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी अपने वाद के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर

बाहर जाकर कोई नई कहानी बनाकर बहस नहीं कर सकता हैं, ना ही उसे ऐसा करने की कानूनन इजाजत ही दी जा सकती हैं।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। उरोक्त आराजी संयुक्त खातेदारी है जिसमें सभी पक्षकारो का हिस्सा निहित है। यदि अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर निर्माण, बेचाना आदि करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के संरक्षण हेतू मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। जहां तीनो बिंदुओ में से एक भी बिंदु साबित होता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 21.07.2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:40 IST
Reason: SelfAttested